राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–प.9(73)राज–6 / 16 जयपुर, दिनांक 14.07.2016

प्रेषित

(1) समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
(2) समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
(3) निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।

विषय :–नामान्तरण के मामलों को निबटाये जाने में विलम्ब को रोकने बाबत्।

प्रदेश में राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वारा 2016" वर्तमान में 9 मई 2016 से 15 जुलाई 2016 तक संचालित है। इस अभियान के दौरान लाखों की संख्या में नामान्तरण खोले गये हैं। यह एक सराहनीय कदम है। पिछले वर्ष दिनांक 18.5.15 से 30.7.15 की अवधि में राजस्व लोक अदालत अभियान के दौरान 6.46 लाख नामांतरण खोले गये। अभियान के दौरान ही हजारों / लाखो नामांतरण खोला जाना यह दर्शाता है कि नामांतरण प्रकरणों का समय पर निस्तारण नहीं किया जाता है एवं इनके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

नामांतरण के मामलों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. **नामांतरण का प्रावधानः–** राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 133, 134 व 135 में नामांतरण का प्रावधान है। इस बारे में पूर्ण विधि का विवरण राजस्थान भू राजस्व अभिलेख नियम, 1957 के नियम 119 से 148 में दिया हुआ है। इसकी पालना सुनिश्चित की जावे।

2. **भूमि हस्तांतरण की सूचना देनाः–** राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 133 अनुसार एक व्यक्ति जो उत्तराधिकार, हस्तांरण या किसी और प्रकार से किसी भूमि पर अधिकार या किसी भूमि पर अन्य स्वत्व या उसमें हित अथवा उसके लाभ जो इस अधिनियम अथवा इसके अन्तर्गत नियमानुसार वार्षिक रजिस्टरों में अंकित किया जाना अपेक्षित है तो इस तथ्य की सूचना, अधिकार प्राप्ति के बाद पटवारी या तहसीलदार या भू–अभिलेख निरीक्षक को तीन माह में देगा।

3. **नामान्तरण कब व किस प्रकार खोलना व तस्दीक किया जाना :–**

(1) इस संबंध में सम्पूर्ण प्रक्रिया राजस्थान भू राजस्व भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 119 से लेकर 148 में दर्शित है। नियम 141 में तहसीलदार हर माह रजिस्ट्रार व सब रजिस्ट्रार कार्यालय से खेती की जमीनों के सारे हस्तांतरणों के बारे में समस्त रजिस्ट्रीशुदा दस्तावेजों के विवरण प्राप्त करेगा। ऑफिस कानूनगो उनको संबंधित पटवारियों में वितरित किये जाने के लिए संबंधित भू–अभिलेख निरीक्षक के पास भेजेगा। भू–अभिलेख निरीक्षक संबंधित पटवारियों को 3 दिन के भीतर आवश्यक रूप से वितरित करेगा। नामांतरण के मामलों और ऐसे सभी मामलों का पटवारियों की अगली मासिक बैंठक में पुर्नविलोकन किया जायेगा।

(2) नामांतरण प्रकरणों को निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किये जाने का कानूनी प्रावधान है। किन्तु निर्धारित समय सीमा में उसकी पालना नहीं की जा रही है, जो एक चिंताजनक स्थिति है। नामांतरण प्रकरणों को समयबद्व निस्तारण हेतु इसकी मानिटरिंग एवं सत्यापन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है।

4. भविष्य के लिए प्रत्येक कलक्टर अपने जिले के लिए एक कार्यक्रम तैयार करे और उस अवधि के पश्चात् राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजे कि समय सीमा से अधिक पुराने समस्त मामले निस्तारित कर दिए गये हैं। कलक्टर इस संबंध में तहसीलदारो को आवश्यक निर्देश जारी करें।

5. निस्तारित प्रकरणों की पालना रिपोर्ट राजस्व मंडल को प्रत्येक माह में भेजी जावे। राजस्व मंडल उक्त सूचना का संकलन कर सूचना इस विभाग को प्रतिमाह भिजवाये।

6. पटवारी द्वारा पंचायत के समक्ष नामान्तरण प्रकरण समय सीमा में प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार स्तर पर नामान्तरण निर्धारित समयावधि में तस्दीक कर नहीं खोले जाते हैं तो उनकी जिम्मेदारी निश्चित कर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

भवदीय,

Sd
(डॉ0 कुंज बिहारी पण्ड्या)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. निजी सचिव, राजस्व मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
5. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव